

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 257035 पटना,

दिनांक:- 31-12-2015

ग्रा0वि0-07(IPPE) 01//2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- IPPE-II के तहत वित्तीय वर्ष- 2016-17 मनरेगा का श्रम बजट, SRDP तथा GPDP के तहत योजना का चयन, वार्ड सभा तथा ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में ।

प्रसंग:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक G-31011/4/2015-MGNREGA-V दिनांक 26 अक्टूबर 2015, G-31011/4/2015-MGNREGA-V दिनांक 23 अक्टूबर 2015, G-31011/4/2015-MGNREGA-V दिनांक 5 नवम्बर 2015 एवं विभागीय पत्रांक-254951 दिनांक-10.12.2015, 253508 दिनांक-27.11.2015, 252526 दिनांक-10.11.2015, 247348 दिनांक-16.09.2015, 249473 दिनांक-05.10.2015, 247848 दिनांक-18.09.2015, 247595 दिनांक-16.09.2015, 244445 दिनांक-27.08.2015 एवं 244383 दिनांक-27.08.2015 एवं पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 4प/चौ0 वि0आ0/01-01/2015/03/पं0 रा0,10(आ0) दिनांक 17/07/2015

महाशय,

मनरेगा की मार्ग निर्देशिका 2013 चौथा संस्करण की कंडिका 2.1.2 अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा मनरेगा अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन करेगी तथा इनके कार्यान्वयन की प्राथमिकता निर्धारण हेतु अंतिम प्राधिकार होगी । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित किया गया है कि राज्य के 300 पिछड़े प्रखण्डों में मनरेगा एवं NRLM (Jeevika) के साथ अभिसरण कर IPPE-II के माध्यम से मनरेगा का श्रम बजट (वित्तीय वर्ष 2016-17) एवं State Rural Development Plan 2016 -17 का निर्माण करना है । इस क्रम में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी 534 प्रखण्डों में IPPE-II प्रक्रिया के तहत Planning Exercise की जाएगी ।

दिनांक-16.12.15 को माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर हुई समीक्षात्मक बैठक में पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को निदेश दिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग (जीविका एवं मनरेगा) तथा पंचायती राज विभाग के Convergence से IPPE-II Module द्वारा मनरेगा अंतर्गत श्रम बजट, Annual Action Plan, SRDP तथा Gram Panchayat Development Plan (GPDP) तैयार किया जाय।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की प्रासंगिकता :- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है जिसके तहत ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत (Comprehensive) सर्वांगीण (Holistic), समेकित (Integrated), समावेशी (Inclusive) और सहभागितापूर्ण (Participatory) योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत कुल रुपये 18919.05 करोड़ (एक सौ नवासी अरब उन्नीस करोड़ पाँच लाख) रुपये मात्र तथा कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल 2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र अर्थात् कुल मिलाकर 21017.83 करोड़ (दो सौ दस अरब सत्रह करोड़ तेरासी लाख रुपये) मात्र की राशि प्राप्त होनी है। बुनियादी अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित निम्नलिखित मूलभूत सेवाओं पर किया जाएगा :-

- जलापूर्ति (Water Supply)
- सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता (Sanitation including septage management)
- मल व्यवस्था (Sewerage)
- स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Storm water drainage and solid waste management)
- सड़कों पर रोशनी (Street Lighting)
- स्थानीय निकाय की सड़कें एवं पैदल पथ (Local body roads and footpath)
- उद्यानों (Parks)
- खेल के मैदानों (Play Grounds)
- कब्रिस्तान और श्मशान (Burial and cremation grounds) का सुदृढ़ीकरण तथा रख-रखाव।

उपर्युक्त वर्णित कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाएं तैयार की जानी हैं। इस क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पाँच वर्षों के लिए दीर्घकालिक (वित्तीय वर्ष- 2015-16 से 2019-20) और तत्काल दो वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजना (वित्तीय वर्ष- 2015-16 एवं 2016-17) का ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-II (मिशन अन्त्योदय) नियोजन प्रक्रिया के तहत अभिसरण कर बनायेंगी। साथ ही अन्य विभागों, यथा समाज कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग आदि विभागों से संबंधित वार्ड एवं पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सूचनाएं संग्रहीत करने की भी कार्रवाई की जानी है।

IPPE - II के तहत उपर्युक्त नियोजन कार्यक्रम हेतु पंचायत के लिए गठित की गयी Block Planning Team (BPT) (कुल 8 की संख्या में), जिसके सदस्य पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, कृषि सलाहकार, Community Co-coordinator/Mobiliser, विकास मित्र, Community Resource Person, आँगनबाड़ी सेविका एवं Civil Society Organization के दो सदस्य हो सकते हैं, को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इस क्रम में कई जिलों से BPT प्रशिक्षण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है कि Block Planning Team के नामित सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने में उदासीनता बरती गई है एवं उनकी उपस्थिति

कम रही है। Block Planning Team के सदस्यों के प्रशिक्षित नहीं होने की स्थिति में सर्वे एवं Planning के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतएव सभी छूटे हुए BPT सदस्य एवं वैसे प्रखण्ड, जहाँ प्रशिक्षण नहीं हुआ है अथवा BPT सदस्यों की उपस्थिति काफी कम रही है, में अभियान चलाकर दिनांक 04.01.2016 से दिनांक 08.01.2016 तक पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। Block Planning Team में ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय एवं उन्हें Planning Exercise का प्रशिक्षण दिया जाय। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर से भी किया जाएगा।

प्रशिक्षित Block Planning Team (BPT) दो भागों में बंटकर (3 से 4 की संख्या में), दल बनाकर, वार्ड में जाकर तीन दिवसीय Planning कार्यक्रम के तहत IPPE-II के PRA Tool के माध्यम से Planning Exercise करते हुए उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रपत्रों में सूचना संग्रहीत करेंगी तथा योजनाओं का चयन करेंगी। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के अन्तिम दिन

- वार्ड के आकलित श्रम बजट के अनुसार वार्षिक कार्य योजना, वित्तीय वर्ष 2016-17, State Rural Development Plan (SRDP) एवं
- 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली योजनाओं का चयन कर GDP पंचवर्षीय Perspective Plan (2015-20) एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 का Annual Plan तैयार कर वार्ड सभा से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

उपर्युक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निम्न निदेश हैं:-

1. Block Planning Team को वार्डों में जाकर Planning Exercise करने हेतु Kit उपलब्ध कराया जाना है।
2. Planning Exercise Kit के दो भाग हैं - प्रथम भाग प्रपत्र से संबंधित है एवं दूसरा भाग टूल किट से संबंधित है।
3. प्रथम भाग में पाँच योजनाओं (MGNREGA, SRLM, IAY, NSAP & DDUGKY आदि) से संबंधित प्रपत्र विभिन्न रंगों में हैं, जो निम्न प्रकार के हैं:-

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से श्रम बजट एवं SRDP तैयार करने हेतु निर्गत प्रपत्र।

- a. SECC बेस फॉर्म - एक पन्ने का।
- b. प्रपत्र - A (मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारकों द्वारा की गयी माहवार अनुमानित काम की मांग)
- c. प्रपत्र - B (पेज-1) मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु योजनाओं का चयन।
- d. प्रपत्र - B (पेज-2) मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु चयनित योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण।
- e. प्रपत्र - B (पेज-3) उद्योग संबंधी जीविकोपार्जन की गतिविधियाँ, कर्ज / ऋण का आकलन।
- f. प्रपत्र - B (पेज-4) कृषि एवं पशुपालन की सेवा प्रसार।
- g. प्रपत्र - C कौशल विकास की आवश्यकताओं पर आधारित जानकारी।
- h. प्रपत्र - D इन्दिरा आवास योजना का पारिवारिक सर्वेक्षण।
- i. प्रपत्र - E राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (सभी पेंशन-राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) परिवार सर्वेक्षण।

(ख) पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार एवं अन्य विभागों की सूचनाएं संग्रहीत करने हेतु एवं GPDP तैयार करने हेतु निर्गत प्रपत्र

- a. प्रपत्र - F - व्यक्तिगत सूचनाएं संकलन करने हेतु प्रपत्र
- b. प्रपत्र - G - वार्ड स्तर पर सूचनाएं संकलन करने हेतु प्रपत्र ।

उपरोक्त सभी प्रपत्रों की सॉफ्ट कॉपी यथाशीघ्र उप विकास आयुक्त के ई-

मेल पर उपलब्ध कराई जा रही है ।

4. BPT दल द्वारा वार्ड में तीन दिवसीय नियोजन प्रक्रिया के तहत SECC बेस फॉर्म, जिसमें Automatically Included Rural Household and those with one or more deprivation परिवारों की जानकारीयाँ अंकित हैं, का सर्वे किया जाना है एवं इनका प्रपत्र A,B,C,D,E,F भरा जाना है। SECC बेस फॉर्म www.nrega.nic.in से पंचायतवार डाउनलोड कर प्रिंट किया जाएगा । जिस पंचायत का www.nrega.nic.in पर SECC का बेस फॉर्म डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है वैसी पंचायत में चार्ज ऑफिसर मनरेगा की वेब-साईट पर उपलब्ध जॉब कार्डधारकों की सूची को डाउनलोड कर सर्वे करना सुनिश्चित करेंगे।

इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वार्ड अन्तर्गत कोई भी Vulnerable परिवार, जॉब कार्डधारी परिवार / जीविका समूह के सदस्य छूटने न पाये एवं इनका प्रपत्र-A,B,C,D,E,F भी भरा जाये।

5. Block Planning Team द्वारा सभी वार्डों में पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभाग से संबंधित सूचनाओं एवं योजनाओं के चयन हेतु प्रपत्र - G को सावधानी पूर्वक भरा जाएगा । प्रपत्र - G में वार्डों में उपलब्ध संसाधनों / सुविधाओं का सर्वेक्षण किया जाना है । तदनुसार वार्डवार आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रक्षेत्रवार प्रस्तावित योजनाओं का चयन कर वार्डसभा से अनुमोदन प्राप्त करना है । प्रपत्र - F एवं G द्वारा संग्रहीत सूचनाओं एवं GPDP हेतु योजनाओं की प्रविष्टि हेतु MIS विकसित की जा रही है, जिसके संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा ।
6. उप विकास आयुक्त सभी प्रपत्रों (A,B,C,D,E,F,G) का समुचित संख्या में मुद्रण (विभाग द्वारा निर्धारित दर पर / जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर / निर्वाचन की दर पर) कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई भी परिवार सर्वे के दौरान छूटने न पाये। इस पर होने वाले व्यय की राशि विभाग द्वारा उप विकास आयुक्त को उपलब्ध करायी जाएगी । उप विकास आयुक्त मुद्रित प्रपत्रों को समुचित संख्या में ससमय सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (चार्ज ऑफिसर) को उपलब्ध करार्येंगे।
7. कार्यक्रम पदाधिकारी, जो चार्ज ऑफिसर हैं, वे पंचायतवार SECC बेस फॉर्म, जिन ग्राम पंचायतों में SECC बेस फॉर्म डाउनलोड हेतु www.nrega.nic.in पर उपलब्ध नहीं हैं वहाँ मनरेगा जॉबकार्ड की सूची नरेगा सॉफ्ट से डाउनलोड करेंगे एवं इसी संख्या में Blank SECC बेस फॉर्म का भी प्रिंट BPM (प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, जीविका) के सहयोग से करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस पर होने वाला व्यय BPM (प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, जीविका) वहन करेंगे।
8. सभी चार्ज ऑफिसर प्रखण्ड स्तर पर IAY, NSAP एवं मनरेगा लाईफ के तहत सर्वेक्षित परिवार की सूची संबंधित पदाधिकारी/विभाग से प्राप्त कर प्रिंट करार्येंगे। साथ ही पंचायतवार SECC की सूची सर्वे Verification हेतु डाउनलोड कर प्रिंट करार्येंगे। इस पर होने वाला व्यय BPM (प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, जीविका) वहन करेंगे।
9. कार्यक्रम पदाधिकारी BPM के सहयोग से अपने प्रखण्ड अन्तर्गत सभी पंचायतों के लिए Planning Kit तैयार करेंगे जिसमें पंचायतवार SECC बेस फॉर्म (विखण्डन राजस्व ग्रामवार करेंगे



तत्पश्चात् सर्वे हेतु वार्ड वार विखंडन करेंगे) प्रपत्र - A,B,C,D,E,F,G, इन्दिरा आवास लाभार्थियों की सूची, IAY स्थायी प्रतीक्षा सूची, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (राष्ट्रीय एवं राज्य), SECC की सूची, मनरेगा लाईफ के तहत सर्वेक्षित परिवारों की सूची, जॉबकार्ड रजिस्ट्रेशन प्रपत्र तथा स्टेशनरी किट BPT दल को सर्वेक्षण के दो दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. Block Planning Team निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रत्येक वार्ड में घर-घर सर्वे कर व्यक्तिगत सूचनाएं एवं सामुदायिक सूचनाओं का संग्रहण करेगी एवं उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं के आलोक में योजनाओं को चयन कर सूचीबद्ध करेगी।
11. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेबर बजट के निर्माण हेतु IPPE-I के तहत सघन जन सहभागी नियोजन अभ्यास द्वारा PRA Tool अपनाते हुए वार्डवार Resource Mapping, Social Mapping एवं पदयात्रा करते हुए योजनाओं का चयन किया गया था, जिसे पुनः IPPE-II में अद्यतन करते हुए उपयोग किया जा सकता है।

IPPE-II अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का विवरण:-

प्रथम दिन

पहला दिन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पंचायत की सभी वार्डों में प्रचार-प्रसार। ➤ पद यात्रा (Transact Walk) - गाँवों में BPT सदस्यों का परिचय, सामाजिक मानचित्रण (पेय जल की सुविधा, विद्यालय, आँगनवाड़ी जैसे संसाधन एवं आवश्यकतानुसार नयी संभावना। ➤ संसाधन मानचित्र - जल श्रोत (नहर, नदी, पोखरा, कुआँ, आहर-पईन) को उनकी उपयोगिता के मानचित्र में कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, वृक्षारोपण इत्यादि को नक्शे में दर्शाना। सामाजिक मानचित्रण के दौरान ग्रामीण जीवन तथा समुदाय से संबंधित मुद्दों को समझना (खुली बात-चीत)। इस क्रम में IPPE-I के तहत बनाई गई संसाधन विवरणी एवं सामाजिक मानचित्र को अद्यतन करते हुए उपयोग किया जा सकता है। ➤ मानचित्रण करने के पश्चात् पद-यात्रा कर संसाधनों का सत्यापन। ➤ सामुदायिक प्रपत्र तैयार करना एवं ली गई योजनाओं का संकलन।
दूसरा दिन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ घर-घर जाकर व्यक्तिगत SECC Data के साथ सर्वे करना एवं प्रपत्र A, B, C, D, E एवं F भरना। ➤ मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत योजनाओं के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करना। ➤ मनरेगा अंतर्गत लोगों द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत योजनाओं का संकलन। ➤ 14 वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि के तहत GPDP के लिए योजनाओं का चयन।
तीसरा दिन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत योजनाओं के आवेदन प्राप्त करना एवं प्राप्त आवेदनों का संकलन। ➤ ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की योजनाओं को अलग से सूचीबद्ध करना। ➤ वार्ड सभा कर मनरेगा योजनाओं एवं GPDP के लिए योजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करना। ➤ दोनों (IPPE-II & GPDP) योजनाओं को संकलित करना ताकि उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

12. दिनांक 10 जनवरी, 2016 से 11 फरवरी, 2016 तक सभी वार्डों में निम्न निर्धारित तालिका के अनुसार PRA Tools का उपयोग कर वार्डवार योजनाओं का चयन वार्ड सभा द्वारा करना एवं इस पूरी प्रक्रिया को

जिले द्वारा तैयार किये गए Block Planning Team के सदस्यों की देख-रेख में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता एवं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से सम्पन्न कराया जायेगा ।

- वार्ड सभा की अध्यक्षता संबंधित वार्ड सदस्य करेंगे। सभी पंचायतों की वार्ड सभा निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी ।
- वार्ड स्तर पर वार्ड के सभी सदस्यों, विशेषकर सक्रिय युवा सदस्य, स्वयं सेवी संस्थान के सदस्य, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी वार्ड सदस्य की होगी। इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय ।

सभी पंचायतों की वार्ड संख्या क्रमशः 1, 2, 314

की नियोजन कार्यक्रम तालिका

IPPE-II, SRDP & GPDP Timeline			
Sr. No.	Ward No. of each GP	Period of Planning	Date of Ward Sabha
1	1 & 2	10th January-12th January 2015	12th January 2015
Technical Analysis & Compilation of Survey data & Works selected from Ward No. 1 to 2 on 13th January 2015			
2	3 & 4	14th January-16th January 2015	16 th January 2015
3	5 & 6	17th January-19th January 2015	19th January 2015
4	7 & 8	20th January-22nd January 2015	22nd January 2015
Technical Analysis & Compilation of Survey data from Ward No. 3 to 8 on 23rd January 2015			
5	9 & 10	24rd January-27th January 2015	27th January 2015
Technical Analysis & Compilation of data from Ward No. 1 to 8 on 26th January 2015 left out data			
6	11 & 12	28th January- 30th January 2015	30th January 2015
7	13 & 14	31st January-2nd February 2015	2nd February 2015
8	15 & more	3rd February-5th February 2015	5th February 2015
Technical Analysis & Compilation of all Survey Forms and Preparing the list of Works approved by Ward Sabha (6th February- 8th February)			
Gram Sabha in all GPs on 09th, 10th & 11th February(Presence of Panchayat Sachiv in GS must)			
Uploading of data of NREGA Soft by 29th February			
Compilation of data at State Level by 10th March 2015			
State Rural Development Plan and GPDP ready by 10th March 2015.			

- ❖ तकनीकी विश्लेषण में चयनित योजनाओं की समीक्षा JE / PTA द्वारा की जाएगी । किसी भी परिस्थिति में Planning Time Line का अनुपालन दृढता से किया जाये। यदि किसी वार्ड में

- निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार Planning का कार्य पूरा नहीं किया जा सके तो उस परिस्थिति में Technical Analysis & Compilation के लिए निर्धारित तिथि को उक्त कार्य को पूरा किया जाय ।
- (13) सभी वार्डों में प्रचार-प्रसार यथा माईक द्वारा प्रचार, सार्वजनिक स्थल पर बैनर आदि लगाकर प्रचार किया जाय ताकि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
- (14) IPPE-II के अन्तर्गत मनरेगा के तहत ली जाने वाली योजनाओं की प्राथमिकता तैयार की जाएगी ।
- लोगों के द्वारा चयनित योजना क्रमशः तीन प्रकार से संकलित कर सूचीबद्ध की जाएगी, (क) मनरेगा के अन्तर्गत ली जाने वाली योजना (ख) मनरेगा एवं अन्य विभागों से संबंधित अभिसरणयुक्त योजना (Convergence) (ग) GPDP की योजना ।
 - सभी जिला/प्रखंड इस बात पर विशेष ध्यान दें कि इस वर्ष मनरेगा में चयन की जाने वाली योजनाओं में कम-से-कम 60% योजना कृषि, कृषि आधारित योजना जो भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास से संबंधित है, जैसे- भूमि समतलीकरण, वृक्षारोपण, खेती के लिए नाला का निर्माण, नर्सरी आदि कामों की होगी। साथ ही नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे संसाधनों का निर्माण करना है जो समुदाय में कृषि आधारित या गैर कृषि आधारित या अन्य दूसरे प्रकार की आजीविका में वृद्धि करे तथा यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ उन्हे बढ़ाने में भी सहयोगी हो ।
- (15) IPPE-II के क्रियान्वयन का प्रखंड स्तर पर नेतृत्व कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे एवं वे सभी पंचायत के लिए चयनित BPT के सदस्यों की पूर्व निर्धारित तिथियों पर वार्डों में उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।
- कार्यक्रम पदाधिकारी IPPE-II कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्ड सभा द्वारा पारित योजनाओं को प्रपत्र में संकलित कर एवं वार्डसभा, सामाजिक मानचित्र तथा संसाधन मानचित्र से संबंधित छायांकन को वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (16) प्रखंडों में पदस्थापित कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि IPPE-II की सभी प्रक्रियाओं का पालन नियमानुसार हो रहा है ताकि पंचायत की सभी वार्डों में यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके ।
- (17) सभी जिला यह सुनिश्चित करेंगे कि वार्डवार कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया जाय।
- सभी जिला, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस पूरी नियोजन प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु जिले में जिला अनुश्रवण कोषांग का गठन करेंगे । जिला अनुश्रवण कोषांग का गठन करते हुए सूचना विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
 - जिला अनुश्रवण कोषांग प्रतिदिन नियोजन प्रक्रिया की प्रगति से जिला पदाधिकारी को अवगत करायेंगे । संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, राज्य में गठित, राज्य अनुश्रवण कोषांग को नियोजन प्रक्रिया का प्रगति प्रतिवेदन ippebihar@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे ।
 - डी.आर.टी. के जो सदस्य पंचायत अनुश्रवण के लिए जाएंगे उनके लिए एक वाहन की व्यवस्था जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त निश्चित रूप से करेंगे ।

- कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक (जीविका) यह सुनिश्चित करेंगे कि वे Block Resource Team (BRT) सदस्यों को चिन्हित कर प्रखंड स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग बनाएंगे। यह कोषांग जिला अनुश्रवण कोषांग को प्रतिदिन कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्ट देगा।
- (18) IPPE-II के तहत BPT की टीम मनरेगा में कार्यरत जॉब कार्डधारी एवं इच्छुक परिवार, जिनका जॉब कार्ड न हो, को चिन्हित करते हुए नये जॉब कार्ड जारी करेंगे।
- (19) वार्ड सभा से पारित श्रम बजट एवं मनरेगा योजनाओं की सूची को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वार्ड सभा द्वारा पारित श्रम बजट / योजनाओं पर विचार कर ग्राम पंचायत का समेकित श्रम बजट एवं प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। इस क्रम में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि हर वार्ड की योजनाएं समान रूप से समावेशित हों।
- (20) ग्राम सभा का आयोजन दिनांक 09 फरवरी, 2016 से 11 फरवरी, 2016 के बीच सभी ग्राम पंचायतों में किया जायेगा।

- जिसमें मनरेगा के श्रम बजट को अनुमोदित करते हुए वार्षिक कार्य योजना का प्राथमिकीकरण एवं अनुमोदन किया जाएगा।
- इसी क्रम में GPDP हेतु वार्डवार वार्ड सभा से अनुमोदित 14वें वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली योजनाओं को भी संकलित कर ग्राम सभा से प्राथमिकीकरण एवं अनुमोदन कराया जायेगा।

प्रतिदिन एक प्रखण्ड की सामान्यतः एक तिहाई पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाय। इन ग्राम सभाओं में एक मनरेगा कर्मी यथा कार्यक्रम पदाधिकारी / कनीय अभियन्ता / पंचायत तकनीकी सहायक अवश्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही जीविका के प्रतिनिधि तथा संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे।

- (21) विदित हो कि अन्य कार्यान्वयन निकायों यथा पंचायत समिति, जिला परिषद्, सरकार के विभिन्न लाईन विभागों यथा पर्यावरण एवं वन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग आदि से भी योजनाएं प्राप्त कर ससमय ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जानी हैं ताकि 9 फरवरी से 11 फरवरी, 2016 के बीच निर्धारित ग्राम सभा में इन पर विचार हो सके। जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा योजनान्तर्गत प्रस्ताव लाईन विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी से 01.02.2016 के पहले बैठक कर तथा उन्हें प्राप्त कर पंचायतों को कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से हस्तगत करा देंगे ताकि ग्राम सभा की बैठक में उन पर विचार हो सके। जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी संबंधित सरकारी विभागों से अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम सभा में रखे जाने हेतु ससमय भेज दिए जायें। लाईन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी को परामर्श दिया जाय कि वे सुविधानुसार स्वयं ग्राम सभा में भाग लेकर अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को वार्षिक कार्य योजना में शामिल करायें।
- (22) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्य नियमानुसार/सुविधानुसार वार्ड सभा / ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र की आवश्यकताओं को समावेशित करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं उप विकास आयुक्त-सह-

- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् क्रमशः पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों से उनके क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों की महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित पंचायत रोजगार सेवक को अनिवार्य रूप से दिनांक- 04.02.2016 तक उपलब्ध करा देंगे।
- (23) वार्ड सभा एवं ग्राम सभा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर से सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं विधान पार्षदों, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को दिनांक- 04.01.2016 तक उपलब्ध करा देंगे और उन्हें या उनके प्रतिनिधियों को ग्राम सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से कार्यक्रम की विवरणी अध्यक्ष / उपाध्यक्ष प्रखण्ड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को देंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने जिला के सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं विधान पार्षदों से उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की सूची प्राप्त कर उसे भी दिनांक-04.02.2016 तक उपलब्ध करा देंगे। ग्राम सभा क्षेत्र के अधीन निवास करने वाले ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम सभा आयोजन की तिथि, समय एवं स्थान के संबंध में सूचना निर्गत करने एवं प्रचार-प्रसार का कार्य संबंधित पंचायत सचिव द्वारा बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2011 के नियम-5 के अधीन किया जायेगा।
- (24) ग्राम सभा संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय में पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर ही आयोजित की जाये। यह किसी निजी मकान या स्थान पर आयोजित नहीं होगी। ग्राम पंचायत के मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्राम सभा आयोजन की सूचना मिलने पर संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी माने जायेंगे एवं विधिसम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे। ग्राम सभा की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्यतः की जाये। इसकी डी0वी0डी0 बनाकर प्रतियाँ जिला स्तर पर संधारित की जायें। ग्राम सभा में माईक इत्यादि की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाये।
- (25) ग्राम सभा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाये कि मुखिया/उनकी कार्यकारिणी के सदस्य एक साथ बैठें, उनसे सटे हुए परन्तु अलग पंचायतों के अन्य निर्वाचित सदस्यों, जो उपस्थित हों, के बैठने की व्यवस्था हो तथा ग्राम के लोग इनके आमने-सामने बैठें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य / सदस्यों को ग्राम सभा के आयोजन से संबंधित लिखित आमन्त्रण कम-से-कम सात दिन पूर्व अवश्य दे दिया जाये। ग्राम सभा की कार्यवाही को देखने हेतु आमंत्रित प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद् अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पदाधिकारियों की बैठने की समुचित व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो कि पूरी सभा की कार्रवाई दिखे।
- (26) ग्राम सभा किसी योजना को जोड़ने, हटाने, संशोधित करने एवं उनकी प्राथमिकता बदलने हेतु सक्षम है। ग्राम सभा का बहुमत से समर्थन मिलने पर प्रस्ताव मान्य हो जाएगा एवं वह वार्षिक कार्य योजना का भाग हो जाएगा। ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार प्रारूप प्राथमिकता सूची का संशोधन कर ग्राम सभा की अन्तिम प्राथमिकता सूची ग्राम सभा में ही पारित की जायेगी।
- (27) ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा ग्राम सभा द्वारा पारित अन्तिम प्राथमिकता सूची को अनुमोदित कर विधिवत् कार्यक्रम पदाधिकारी को दिनांक- 12.02.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

- (28) कार्यक्रम पदाधिकारी प्राप्त कार्य योजना की सूची को समेकित कर पंचायत समिति को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक- 13.02.2016 उपस्थापित करेंगे। समयाभाव के कारण प्रखण्ड क्षेत्र की कार्य योजना पर विचार हेतु पंचायत समिति की बैठक दिनांक- 16.02.2016 तक आयोजित करा ली जाय।
- (29) पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिनांक- 20.02.2016 तक भेजी जाय । जिला कार्यक्रम समन्वयक यथा सम्भव दिनांक- 29.02.2016 तक जिला परिषद् की बैठक आयोजित कराकर जिले की कार्य योजना एवं श्रम बजट अनुमोदित करायेंगे।
- (30) IPPE-II के तहत पंचायतों की ग्राम सभा से मनरेगा अन्तर्गत एक वर्ष में पूरी की जाने वाली योजनाओं को ही पारित कराया जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया के दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध होने वाले राशि के विरुद्ध चिन्हित प्रक्षेत्रों की योजनाओं का भी चयन करेंगे और पंचवर्षीय GPDP Perspective Plan 2015 - 20 तैयार करेंगे एवं वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का वार्षिक योजना तैयार कर वार्ड सभा से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- पंचायतों की ग्राम सभा से पारित योजनाओं की सूची निर्धारित प्रारूप में संकलित कर मनरेगा वेब साईट एवं फोटोग्राफ IPPE की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी ।
 - किसी के द्वारा ग्राम सभा की डी0वी0डी0 की प्रति मांगे जाने पर उचित शुल्क प्राप्त कर प्रति देने की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाय।
- (31) ग्राम सभा में सभी वार्डों की चयनित योजनाओं की प्राथमिकता निम्न अनुसार तय की जाएगी:- जैसे, दस वार्ड की किसी पंचायत में दसों वार्डों की क्रमांक-01 वाली योजनाओं का प्रथम खण्ड बनेगा तथा सभी वार्डों की क्रमांक-02 वाली योजनाओं का दूसरा खण्ड बनेगा, इसी प्रकार क्रमांक-03 इत्यादि का.....।
- ग्राम सभा क्रमानुसार खण्डों की योजनाओं की प्राथमिकता तय करेगी, जैसे- अगर खण्ड-01 में 10 योजनाएं हैं तो ग्राम सभा इन दसों योजनाओं की प्राथमिकता तय करेगी । इसी प्रकार**
- (32) IPPE-II के तहत Labour Budget मनरेगा में ली जाने वाली योजनाओं का एक वर्ष के लिए ही बनेगा।
- कार्यक्रम पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मनरेगा के लिए चयनित योजनाओं के अनुरूप श्रम बजट (Labour Budget) तैयार कर www.mgnrega.nic.in में अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- (33) प्रत्येक वार्ड सभा का आयोजन यथासंभव वार्ड में ही उपलब्ध किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा।
- (34) IPPE-II को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाना है । सभी जिला अपने यहाँ कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं से इस दिशा में सहयोग ले सकते हैं । राज्य स्तर पर कुछ संस्थाएं जैसे- PACS, PRADAN आदि IPPE-II में अपने कार्यक्षेत्र में सहयोग करने हेतु इच्छुक हैं, का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- (35) IPPE-II के लिए ग्रामीण विकास विभाग स्तर पर एक फेसबुक पेज बनाया गया है जिसमें आप किसी भी कार्यक्रम के दौरान लिए गए अच्छे फोटो को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भेज सकते हैं ।

(36) ग्राम सभा से संबंधित शिकायत / सूचना टॉल फ्री दूरभाष सं०- 1800-120-8001 पर अथवा लिखित शिकायत / सूचना ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण कक्ष के फैक्स सं०-0612-2217857 अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जा सकती है। कृपया इसका भी प्रचार-प्रसार किया जाय। ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में किसी संशय के समाधान के लिए अथवा इसे और प्रभावी बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों / जन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इन निदेशों में पंचायती राज विभाग की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

जापांक:- 257035 पटना,

दिनांक:- 31-12-2015

प्रतिलिपि:- सभी जिला पंचायती राज पदा० / जिला कार्यक्रम पदा०, समाज कल्याण विभाग / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग / जिला कल्याण पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी / जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक:- यथोक्त।

सचिव 31/12/2015

जापांक:- 257035 पटना,

दिनांक:- 31-12-2015

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक:- यथोक्त।

सचिव 31/12/2015

जापांक:- 257035 पटना,

दिनांक:- 31-12-2015

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग / प्रधान सचिव, अल्प संख्यक कल्याण विभाग / प्रधान सचिव, लोक स्वस्थ्य अभियन्त्रण विभाग / सचिव, उर्जा विभाग / सचिव, समाज कल्याण विभाग / सचिव, अनु० जाति जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

सचिव 31/12/2015

जापांक:- 257035 पटना,

दिनांक:- 31-12-2015

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक:- यथोक्त।

सचिव 31/12/2015

LIST OF ANNEXURES

Sl.No.	Particulars	No. of Pages
1.	SECC Base form (Download From www.mrega.nic.in)	01
2.	Form A	01
3.	Form B	04
4.	Form C	02
5.	Form D	01
6.	Form E	01
7.	Form F (Individual survey format)	01
8.	Form G (For GPDP)	03
9.	Consolidation format of MGNREGA	10
10.	Consolidation format of GPDP	06
11.	Forms to be printed for BPT Kit & Stationary Item for BPT Kit (2 set per GP)	01
Total No. Pages		31

समेकित ग्राम विकास योजना बनाने का पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र

यूनिकफार्मनं.

राज्य	जिला	तहसील/ तालुका	प्रखण्ड	एनआरएलएम इंटेंसिब हॉ <input type="checkbox"/> नही <input type="checkbox"/>
ग्राम पंचायत :-			ग्राम :-	
SECC TIN नं.		परिवार प्रकार	18-59: <18 >60	
परिवार के मुखिया का नाम-		उम्र-	लिंग-	वर्ग-
पिता का नाम-		माता का नाम-		
Automatically included with criteria codes or deprvation with criteria codes (स्वतः शामिल श्रेणी कोड के साथ या वंचितता श्रेणी कोड के साथ)				
संपर्क नं. (मोबाईल नं.) <input type="text"/>				

संपर्क नं. (मोबाईल नं.)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

क्या परिवार के पास जॉबकार्ड है हॉ नही यदि हॉ तो परिवार के पास उपलब्ध जॉबकार्ड सं.

	जॉबकार्ड विवरणी (महत्मा गाँधी NREGA के अनुसार)		फार्म A भरा गया है ?	
	विशेष पहचान संख्या (NREGA के अनुसार)	परिवार पहचान कोड	हॉ <input type="checkbox"/>	नही <input type="checkbox"/>
जॉबकार्ड 1			हॉ <input type="checkbox"/>	नही <input type="checkbox"/>
जॉबकार्ड 2			हॉ <input type="checkbox"/>	नही <input type="checkbox"/>
जॉबकार्ड 3			हॉ <input type="checkbox"/>	नही <input type="checkbox"/>

1. प्रत्येक जॉबकार्ड धारक द्वारा की गई मॉग के फार्म ए (फॉर्म ए हरा रंग)मे भरा जाये।

"a" यदि किसी परिवार के पास जॉबकार्ड उपलब्ध नही है तो क्या उसे जॉबकार्ड चाहिए? हॉ नही

"b" जॉब हेतु आवेदन फार्म दिया गया है हॉ नही

"c" फार्म a भरा गया है हॉ नही

2. फार्म बी भरे-पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना के लिये (फॉर्म नीला रंग)

"a" फार्म B भरा गया है हॉ नही

3. क्या परिवार का सर्वेक्षण पूर्व में भी प्रोजेक्ट लाइव के तहत हुआ है? हॉ नही

"a" यदि हॉ, तो प्रोजेक्ट लाइव के अंतिम दो कॉलम को भरे तथा चैकलिस्ट (बीपीटी किट के तहत चैकलिस्ट दिया गया है) में उस युवक का नाम भरे।

"b" यदि नही, तो क्या उस परिवार में कोई सदस्य किसी प्रकार के कौशल विकास का इच्छुक है? हॉ नही

i. यदि इच्छुक है तो, फार्म "सी" भरे (फॉर्म ग्रे रंग)

"c" फार्म "C" भरा गया है हॉ नही

4. क्या परिवार पहले से इंदिरा आवास योजना का लाभुक है या उसका पात्र है? यदि हॉ तो फार्म "डी" भरे (फॉर्म पीला रंग)

"a" फार्म "D" भरा गया है? हॉ नही







5. क्या परिवार में कोई सदस्य सा.सु.पे. का पात्र है (IGNOAPS/INGWPS/IGNDPS)? यदि हॉ तो फार्म "ई" भरे (फॉर्म गुलाबी रंग)"a" फार्म "E" भरा ? हॉ नही

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म-ए : जॉबकार्ड धारको द्वारा की गई अनुमानित माँग (2016-17)
कितने दिन का रोजगार चाहिए प्रति माह

जॉबकार्ड परिवार कोड			
मनरेगा की यूनिक पहचान सं.			
जॉबकार्ड धारक का नाम			
FRA लाभुक	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
माहवार	दिनो की संख्या	दिनो की संख्या	दिनो की संख्या
अप्रैल			
मई			
जून			
जुलाई			
अगस्त			
सितम्बर			
अक्टूबर			
नवम्बर			
दिसम्बर			
जनवरी			
फरवरी			
मार्च			
कुल योग:-			

1. SECC के सर्वेक्षण के आधार पर हो सकता है कि किसी परिवार के पास एक से अधिक जॉबकार्ड हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में अलग अलग जॉबकार्ड धारकों की माँग को अलग अलग कॉलम लिखें।
2. किसी अन्य जॉबकार्ड कोड (राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत/ग्राम) की प्रविष्टि न करें चूँकि वह एक SECCपरिवार में सभी जॉबकार्ड के लिये समान होगा।
3. यदि SECC परिवार के पास तीन से अधिक जॉबकार्ड है तो माँग दर्जकरने के लिये अलग से फार्म-A भरे।
4. जॉबकार्ड के परिवार कोड को जानने के लिये निम्नलिखित उदाहरण को देखें

BH	-20	-003	-001	-001	/84
					
राज्य कोड	जिला कोड	प्रखण्ड कोड	पंचायत कोड	ग्रामकोड	परिवार कोड

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अंगूठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म -बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 1)

- परिवार के मुखिया का नाम :-
- परिवार के भूमि का विवरण (बोल चाल की भाषा में पहचान कर विवरण)

	अपना जमीन					पट्टे पर लिया गया जमीन
	दोन-1 (जल जमाव भूमि)	दोन-2 (कम जल जमाव भूमि)	दोन-3 (टॉड)	बाड़ी	अनउपजाउ जमीन	
सिंचित						
असिंचित						

बोलचाल की भाषा में पहचान कर एरिया विवरण लिखे (1 एकड=..... लोकल इकाई)

- कृषि क्षेत्र में पहुँच

3.A	क्या परिवार भूमि विकास के कार्य को करने का इच्छुक है भूमि समतलीकरण <input type="checkbox"/> फार्म बंडिंग <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
3.B	व्यक्तिगत सिंचाई हेतु संपत्ति की आवश्यकता तालाब <input type="checkbox"/> कूप <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
3.C	क्या परिवार नाडेप कम्पोस्ट गढढा या अजोल गढढा निर्माण करने का इच्छुक है नाडेप कम्पोस्ट गढढा <input type="checkbox"/> अजोल गढढा <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
3.D	क्या परिवार अपनी भूमि पर फलदार/ गाय, भैस चारा/ लकड़ी के उपयोग हेतु वृक्षारोपण के लिये इच्छुक है ? फलदार <input type="checkbox"/> गाय,भैस चारा <input type="checkbox"/> लकड़ी <input type="checkbox"/>
3.E	क्या परिवार सरकारी जमीन/सडक के किनारे वृक्षारोपण का कार्य करने के लिये इच्छुक है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
3.F	अगर परिवार भूमिहीन है, तो क्या वह जमीन पट्टे पर लेने के लिये इच्छुक है? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

- A. पशुओं से संबंधित मौका - पशुओं की संख्या

	भैस	गाय	बैल	बकरी/भैड	सुअर	मुर्गी	अन्य
बडे							
बछडा/बच्चे							

- B. पशुओं से संबंधित जरूरतें-क्या परिवार को पशुओं को रखने के लिये ग्रह निर्माण की जरूरत है?
कृपया टिक लगायें

गाय,भैस शैड	<input type="checkbox"/>	बकरी/ भैड शैड	<input type="checkbox"/>	सुअर शैड	<input type="checkbox"/>	मुर्गी शैड	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------

- एनटीएफपी पर आधारित जीविकोपार्जन (जब ग्राम जंगल के पास हो तब ही भरा जायें)

5.a	क्या ग्राम जंगल के नजदीक स्थित है ? हॉनही <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.b	क्या परिवार एनटीएफपी से संबंधित गतिविधि करते थे/करते है ?(कृपया टिक का प्रयोग करे) टसर <input type="checkbox"/> लाख <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
5.c	क्या परिवार एनटीएफपी से गतिविधि के लिये प्रखण्ड से वृक्षारोपण करने का इच्छुक है ? हॉनही <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अंगूठा

फार्म –बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 2)
पारिवारिक स्तर पर उत्पादन संबंधित कार्यों की प्राथमिकता सूची (प्राथमिकीकरण 3 तक)

संपत्ति निर्माण की सूची (यदि आवश्यकता हो तो ऐसे कार्य जो जिन कार्यों को करने की अनुमति बीपीटी चैक लिस्ट में है उन्हें जोड़ा जा सकता है)	प्राथमिकता सं.
भूमि समतलीकरण	
मेढ बंधान	
अन्य भूमि के विकास हेतु कार्य (कार्य का विवरण)	
खेत/ मछली तालाब	
कूप	
अन्य सिंचाई ढाँचा (कार्य का विवरण)	
जल संग्रहण कार्य कृषि भूमि पर	
नाडेप कम्पोटिंग	
आजोला गढढा	
निजी जमीन में वृक्षारोपण	
सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण	
गाय, भैस हेतु शैड निर्माण	
भेड, बकरी हेतु शैड	
मुर्गी या बतख पालन हेतु शैड निर्माण	
सुअर पालन शैड निर्माण	
अन्य (वर्णन करें)	

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म –बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 3)

1. उद्योग संबंधित जीविकोपार्जन की गतिविधियाँ-

6.a	क्या परिवार किसी प्रकार के धरेलू उद्योग कर रहा है ? (कोड का प्रयोग-हाँ-1,नहीं-2)	हथकरघा उद्योग	<input type="checkbox"/>	हस्तलिपि उद्योग	<input type="checkbox"/>	अन्य	<input type="checkbox"/>
6.b	क्या परिवार उद्योग को स्थापित कर अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है ?						<input type="checkbox"/>

6.c. क्या परिवार का कोई सदस्य महिला समूह से जुड़ा है ? हाँ नहीं हाँ तो समूह का नाम

समूह से जुड़े सदस्य का नाम

2. कर्ज/ऋण आंकलन -

ऋण के स्रोत	7.a बकाया राशि	7.B ब्याज की दर कोई एक लिखें		7.C कर्ज या ऋण लेने का कारण
		वार्षिक	मासिक	
महाजन/ व्यवसायिक				उपभोग हेतु <input type="checkbox"/> उत्पादन हेतु <input type="checkbox"/> शादी हेतु <input type="checkbox"/> त्यौहार हेतु <input type="checkbox"/>
सूक्ष्मवित्त संस्था/ फाईनेंस कंपनी				उपभोग हेतु <input type="checkbox"/> उत्पादन हेतु <input type="checkbox"/> शादी हेतु <input type="checkbox"/> त्यौहार हेतु <input type="checkbox"/>
स्वयं सहायता समूह				उपभोग हेतु <input type="checkbox"/> उत्पादन हेतु <input type="checkbox"/> शादी हेतु <input type="checkbox"/> त्यौहार हेतु <input type="checkbox"/>
बैंक से				उपभोग हेतु <input type="checkbox"/> उत्पादन हेतु <input type="checkbox"/> शादी हेतु <input type="checkbox"/> त्यौहार हेतु <input type="checkbox"/>
दोस्त/ रिश्तेदार				उपभोग हेतु <input type="checkbox"/> उत्पादन हेतु <input type="checkbox"/> शादी हेतु <input type="checkbox"/> त्यौहार हेतु <input type="checkbox"/>

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अंगूठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म –बी : पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना हेतु (पेज 4)

3. जीविकोपार्जन से संबंधित आंकलन-

8.a अपनी खेती कितने माह खाद्यान्न उपलब्ध होता है

8.b आय का विवरण

जीविकोपार्जन के स्रोत	वार्षिक आय
कृषि	
पशु पालन से	
मजदूरी	
पलायन	
एनटीएफपी (जंगल जातीय द्रव्य)	
अन्य	

4. जीविकोपार्जन सेवा प्रसार

सेवाओं का प्रकार		सेवा प्रदाता	सेवा प्रदाता का पता/स्थान
पशु स्वास्थ्य सुविधा	9.a बड़े जानवर	पशुसखी <input type="checkbox"/>	उसी गाँव में <input type="checkbox"/>
		पशुक्षेत्र सहायक <input type="checkbox"/>	ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर <input type="checkbox"/>
		पशु चिकित्सक <input type="checkbox"/>	गाँव जो 2 कि.मी. अधिक <input type="checkbox"/>
		प्राइवेट <input type="checkbox"/>	प्रखण्ड मुख्यालय <input type="checkbox"/>
	9.B छोटे जानवर/ मुर्गी	पशुसखी <input type="checkbox"/>	उसी गाँव में <input type="checkbox"/>
		पशुक्षेत्र सहायक <input type="checkbox"/>	ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर <input type="checkbox"/>
		पशु चिकित्सक <input type="checkbox"/>	गाँव जो 2 कि.मी. अधिक <input type="checkbox"/>
		प्राइवेट <input type="checkbox"/>	प्रखण्ड मुख्यालय <input type="checkbox"/>
9.C कृषि		कृषि सीआरपी <input type="checkbox"/>	उसी गाँव में <input type="checkbox"/>
		ग्रामसेवक <input type="checkbox"/>	ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर <input type="checkbox"/>
		CSO/NGO <input type="checkbox"/>	गाँव जो 2 कि.मी. अधिक <input type="checkbox"/>
		प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी <input type="checkbox"/>	प्रखण्ड मुख्यालय <input type="checkbox"/>
		प्राइवेट <input type="checkbox"/>	
9.C एनटीएफपी		वनविभाग <input type="checkbox"/>	उसी गाँव में <input type="checkbox"/>
		सोसायटी <input type="checkbox"/>	ग्राम से 2 कि.मी. के भीतर <input type="checkbox"/>
		CSO/NGO <input type="checkbox"/>	गाँव जो 2 कि.मी. अधिक <input type="checkbox"/>
		प्राइवेट <input type="checkbox"/>	प्रखण्ड मुख्यालय <input type="checkbox"/>

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अंगूठा

यूनिकफार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म-सी, कौशल विकास की आवश्यकताओं पर आधारित जानकारी प्रपत्र

(प्रत्येक ऐसे युवक जो कि 18 से 35 वर्ष आयु का हो और पात्र व इच्छुक हो तथा अजा/अजजा / महादलित महिला की स्थिति में उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष होगी)

कं.सं.			
परिवार के युवक का नाम			
लिंग			
उम्र			
विकलांग हॉ/नहीं			
शैक्षणिक योग्यता (टेविल 1 से कोड का प्रयोग)			
जीविकोपार्जन के लिये इच्छुक (हॉ/नहीं)			
लाभुक की इच्छानुसार कौशल विकास के तीन प्राथमिकता क्रम में लिखें	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
कौशल विकास के पश्चात आय में बढोत्तरी की उम्मीद लिखें (टेविल नं. 3 से कोड का प्रयोग करें)			
क्या युवक पलायन करने का इच्छुक है (हॉ/नहीं)			

नोट-इस प्रपत्र के पीछे कोड नं. अंकित है।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूठा

कौशल कोड (फार्म-सी)

टेबिल नं. 02		
क्र.	प्रशिक्षण एवं कौशल विकल्प	कोड
1.	कृषि संबंधित	AGR
2.	स्वास्थ्य से संबंधित	AHC
3.	मोटर वाहन मरम्मत संबंधित	AUR
4.	वैकिंग एवं एकाउन्ट से संबंधित	BAN
5.	सौन्दर्य एवं बालों की सजावट से संबंधित	BEA
6.	व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित	BSC
7.	निर्माण से संबंधित	CON
8.	निर्माण यंत्र से संबंधित	CEQ
9.	कारियर एवं रसद संबंधित	COL
10.	बिजली संबंधित	ELE
11.	इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित	ELC
12.	वस्त्र उद्योग से संबंधित	FAB
13.	फैशन डिजाइन से संबंधित	FAD
14.	प्रतिदिन उपभोग किये जाने वाले सामान	FMG
15.	खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण	FPP
16.	वस्त्र निर्माण से संबंधित	GAR
17.	रत्न और आभूषण बनाने से संबंधित	GEM
18.	आतिथ्य (होटल व्यवसाय)	HOS
19.	बिजली उद्योग से संबंधित	IEL
20.	सूचना एवं प्रसार से संबंधित	ICT
21.	बीमा से संबंधित	INS
22.	जूट से संबंधित	JTD
23.	चमड़ा एवं खेल सामग्री से संबंधित	LEA
24.	समुद्री इंजीनियरिंग से संबंधित	MRN
25.	सामग्री प्रबंधन से संबंधित	MAM
26.	मोडिया से संबंधित	MDA
27.	मेडिकल एवं नर्सिंग से संबंधित	MED
28.	रंग से संबंधित	PAI
29.	प्लास्टिक से संबंधित	PLA
30.	प्रिंटिंग से संबंधित	PRI
31.	प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन से संबंधित	PRO
32.	उत्पादन से संबंधित	MAN
33.	फ्रिज एवं एसी से संबंधित	REF
34.	गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित	RNE
35.	खुदरा व्यापार से संबंधित	RET
36.	सिक्वोरटी सुरक्षा से संबंधित	SEC
37.	सॉफ्ट रिक्लस से संबंधित	SS
38.	स्वास्थ्य एवं उपचार से संबंधित	SPW
39.	संचार से संबंधित	TLC
40.	सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित	SPG
41.	टूर एण्ड टेवल्स से संबंधित	TRV

टेबिल नं. 01	
शैक्षणिक योग्यता	कोड
12 वीं	1
10 वीं	2
8 वीं	3
पथमिक	4
निरक्षर	5

टेबिल नं. 03	
अपेक्षित मासिक आय	कोड नं.
3000 से कम	1
3001 से 5000 तक	2
5001 से 10000 तक	3
10001 से ज्यादा	4

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म-डी, इंदिरा आवास योजना की पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र

- परिवार के मुखिया का नाम
- यदि परिवार के मुखिया पुरुष है तो उनकी पत्नी का नाम
- क्या आपके पास पक्का मकान है हाँ नहीं
- यदि तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो -
 - क्या आप जानते हैं कि इंदिरा आवास के आवंटन हेतु एक स्थाई प्रतीक्षा सूची है ? हाँ नहीं
 - क्या आपने इंदिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा सूची देखी है ? हाँ नहीं
(जैसे कि दीवाल पट/बैनर/पंचायत में छपे हुये दस्तावेज)
 - क्या आपका परिवार इंदिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा सूची में है हाँ नहीं
- क्या परिवार इंदिरा आवास योजना के तहत घर आवंटित किया गया है सहयोग की मात्रा (किस्तों की संख्या) निर्माण स्तर

स्वीकृत संख्या (अगर हो तो)	लाभुक का नाम	प्राप्त राशि	किस्तों की संख्या	घर के निर्माण का स्तर जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित है
				नीव भराई तक <input type="checkbox"/>
				लिटल लेवल <input type="checkbox"/>
				लिटल के उपर <input type="checkbox"/>
				पूर्ण <input type="checkbox"/>
				शौचालय <input type="checkbox"/>

- क्या मकान निर्माण पूर्ण हो गया है ? हाँ नहीं
- यदि नहीं तो घर निर्माण की संभावित तिथि ? माह वर्ष
- अगर निर्माण हो चुका है तो क्या घर में रहना शुरू कर दिया है ? हाँ नहीं
- क्या आप कभी ग्राम सभा /वार्ड की बैठक में शामिल हुये है ? हाँ नहीं
- यदि हाँ तो इंदिरा आवास के चयन हेतु ग्राम सभा/वार्ड में चर्चा हुई थी ? हाँ नहीं
- क्या आप राजमिस्त्री प्रशिक्षण लेने के लिये इच्छुक है ? हाँ नहीं

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अंगूठा

यूनिक फार्म संख्या		प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

फार्म-ई राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र

- परिवार के मुखिया का नाम
- क्या आपके परिवार में किसी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है ? हाँ नहीं
- यदि हाँ

नाम			
लिंग			
उम्र			
योजना के नाम (राज्य की योजना का नाम लिखें)			
लाभुक पहचान संख्या/आर्डर नं.			
राशि प्रतिमाह			
अंतिम माह जिसमें पेंशन प्राप्त हुआ था			
कितने माह का पेंशन मिलना बाकी है			

- ऐसे व्यक्तियों का विवरण जो पेंशन के लिये पात्र हैं परन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है ।

नाम			
लिंग			
उम्र			
सामाजिक सुरक्षा वर्ग (वृद्धा/विधवा/विकलांग)			

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

उक्त जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर व अगूठा

SECC TIN No.	यूनिक फार्म न.	प्रपत्र भरने की तिथि	दिन	माह	वर्ष

परिवार की सामान्य जानकारी (Form - F)

वार्ड सं० - बसावट/टोला का नाम बसावट/टोला का प्रकार (महादलित/अनुसूचित जनजाति/अन्य)

परिवार के मुखिया का नाम -

पारिवारिक श्रेणी में टिक (✓) लगायें - इंदिरा आवास लाभार्थी महिला प्रधान विकलांग भूमि सुधार लाभार्थी सीमांत / लघु किसान

1. बैंक खाता संख्या

IFSC Code

बैंक का नाम -

बैंक शाखा का नाम.....

2. आधार नंबर No. है : हाँ नहीं

अगर हाँ तो आधार नंबर-

यदि आधार नं० नहीं है तो EID No है

हाँ तो EID No:

3. वोटर आई कार्ड नंबर-

4. घर में पोल से बिजली की उपलब्धता है : हाँ नहीं

5. घर से कचरा बाहर चिन्हित जगह पर फेंकते हैं : हाँ नहीं

6. घर से पानी निकासी हेतु नाली है : हाँ नहीं

अगर हाँ : कचरा पक्का

क्या जल निकास की नाली वार्ड के मुख्य नाला से जुड़ा है : हाँ नहीं

7. घर में जलापूर्ति का मुख्य साधन : चापाकल सरकारी स्टैंड पोस्ट के नल से जल संयोजन(पाइप) द्वारा

सार्वजनिक सरकारी नल से निजी बोरिंग से अन्य -----

8. घर में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय है हाँ नहीं

9. परिवार के कितने सदस्यों / सदस्य का निम्न योजना के अंतर्गत बीमा हुआ है :

क- जीवन ज्योति (330 रु-/सालाना)

ख- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (12रु-/सालाना)

ग- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना घ- अन्य

11. घर की कोई महिला सदस्य जीविका एवं जीविका संपोषित (महिला विकास निगम/नाबाड/ PCI/SGSY/अन्य) स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है :

हाँ नहीं

अगर हाँ तो सदस्य (दीदी) का नाम : -----

समूह का नाम : -----

ग्राम संगठन का नाम: -----

12. घर में कुल सदस्यों की संख्या (६० वर्ष से ऊपर) जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रहा है:

13. क्या राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड मिला है : हाँ नहीं

यदि हाँ तो राशन कार्ड नंबर :

दिनांक :

स्थान :

परिवार के मुखिया नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत विकास योजना - फॉर्म - G

वार्ड स्तरीय सर्वेक्षण प्रपत्र

जिला का नाम प्रखण्ड का नाम वार्ड संख्या

वार्ड में बसावटों/टोलों की कुल संख्या - टोलों का नाम 1 2 3 4

सार्वजनिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति

1. क्या वार्ड में पंचायत सरकार भवन है ? हाँ नहीं
 2. क्या वार्ड में पंचायत भवन बना है ? हाँ नहीं
- अगर हाँ तो, पंचायत भवन का आकार (फीट में) : लंबाई चौड़ाई
- पंचायत भवन में मरम्मत की आवश्यकता है हाँ नहीं
- अगर नहीं तो, ग्राम पंचायत कार्यालय कहाँ से संचालित होता है किसी अन्य सरकारी भवन में किराए का भवन

पेय जल के स्रोत की स्थिति

3. वार्ड में पेय जल के मुख्य स्रोत : वार्ड में सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट) से पानी उपलब्ध है : हाँ नहीं
- अगर हाँ तो क्या चालू अवस्था में है हाँ नहीं
- अगर नहीं है, तो पेय जल का मुख्य स्रोत क्या है : पाईप द्वारा चापाकल कुआँ बिना टंका कुआँ ट्यूब नदी
- अगर नहीं है, तो पेय जल का मुख्य स्रोत क्या है : नहर तालाब अन्य स्रोत :

स्वच्छता

4. वार्ड में जल निकासी हेतु मुख्य नाला है हाँ नहीं
- अगर हाँ तो : कचरा पक्का बिना टंका हुआ ह्यूम पाइप
- अगर पक्का है तो : टंका हुआ बिना टंका हुआ हाँ नहीं

क्या मुख्य नाले की मरम्मत की आवश्यकता है : हाँ नहीं

मुख्य नाले के पानी का अंतिम निकासी / निस्तारण की व्यवस्था : हाँ नहीं
 5. वार्ड में कूड़ा-कचरा फेंकने (पबंथन) की कोई व्यवस्था है : हाँ नहीं

इसके लिए क्या कोई सामुदायिक स्थल चिन्हित है : हाँ नहीं

अगर हाँ तो, स्थान का नाम - _____ परिधिम _____ उत्तर _____ दक्षिण _____

स्थान की चौहद्दी - पूर्व - _____

यातायात एवं संचार

6. वार्ड (टोले) में सड़क की स्थिति : कट्या पक्का नहीं
 सड़क निर्माण की आवश्यकता है : हाँ नहीं
 सड़क मरम्मत की आवश्यकता : हाँ नहीं
 वार्ड (टोला, बसावट) का संपर्क पथ ग्राम पंचायत के निकट के मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है : हाँ नहीं
 अगर हाँ तो, सड़क का प्रकार : कट्या ईट सोलिंग पीसीसी कोलतार की सड़क
 अगर हाँ तो, क्या संपर्क पथ में मरम्मत करने की आवश्यकता है : हाँ नहीं

आंगनवाड़ी केंद्र संबंधी प्रश्न

7. वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र है : हाँ नहीं किराये के भवन में
 अगर हाँ तो केंद्र कहाँ संचालित है : अपने भवन में नहीं
 अगर अपना भवन है तो क्या भवन के मरम्मत की आवश्यकता है : हाँ नहीं
 अपना भवन है तो जलापूर्ति एवं शौचालय की सुविधा है : हाँ नहीं
 अपना भवन नहीं होने की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के लिए सरकारी जमीन 3 से 3.5 हेक्टेयर उपलब्ध है - हाँ नहीं
 अगर उपलब्ध है, तो जगह का नाम _____
 जमीन की चौहद्दी : पूरब - _____ पश्चिम _____ उत्तर _____ दक्षिण _____
 वार्ड में जीविका ग्राम संगठन है - हाँ नहीं सामूहिक बैठक स्थल है - हाँ नहीं
 नहीं होने की स्थिति में कोई ऐसा सामूहिक स्थल का विवरण दें जहाँ बैठक आयोजित की जा सके _____
 9. वार्ड में महादलित टोला/बसावट है : हाँ नहीं 500 से ज्यादा
 अगर हाँ तो टोले की आबादी - 500 से कम 500 से ज्यादा नहीं
 अगर आबादी 500 से ज्यादा है तो क्या सामुदायिक भवन बना है : हाँ नहीं
 अगर नहीं बना है तो क्या (50*60ft.) का सरकारी स्थान उपलब्ध है : हाँ नहीं
 अगर हाँ तो जगह का नाम _____
 चौहद्दी - पूरब - _____ पश्चिम _____ उत्तर _____ दक्षिण _____
 10. वार्ड में पिछले 10 वर्ष में कोई आपदा आई है : हाँ नहीं कितनी बार _____
 अगर हाँ, तो किस प्रकार की _____
 क्या कोई सरकारी योजना के तहत सामुदायिक आश्रय स्थल निर्मित है ? हाँ नहीं
 अगर हाँ तो वहाँ पेयजल :- हाँ नहीं
 शौचालय की सुविधा है :- हाँ नहीं

अन्य आधारभूत संरचना

11. वार्ड में खेल का मैदान है : हाँ नहीं
- अगर हाँ, तो - मैदान में आधारभूत संरचना उपलब्ध है : हाँ नहीं
- मैदान का समतलीकरण आवश्यक है : हाँ नहीं
- अगर नहीं, तो खेल मैदान के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है : हाँ नहीं
- अगर हाँ, तो जगह का नाम _____
- उत्तर - _____
- दक्षिण - _____
- एवं चौहद्दी - पूरब - _____
- पश्चिम - _____
12. वार्ड में जन वितरण प्रणाली की दुकान है : हाँ नहीं
- अगर हाँ तो जनवितरण प्रणाली की दुकान : व्यक्तिगत है SHG/ VO द्वारा संचालित है PACS द्वारा संचालित
13. वार्ड में बिजली की सुविधा की उपलब्ध है : हाँ नहीं
- अगर हाँ, तो वार्ड में बिजली, पोल के माध्यम से है :- हाँ नहीं
14. वार्ड में कब्रिस्तान है : हाँ नहीं
- अगर हाँ, तो चौहद्दी - पूरब - _____
- पश्चिम - _____
- उत्तर - _____
- दक्षिण - _____
- यदि हाँ तो चौहद्दी - पूरब - _____
- क्या घेराबंदी है : हाँ नहीं
15. वार्ड में श्मशान है : हाँ नहीं
- यदि हाँ तो चौहद्दी - पूरब - _____
- पश्चिम - _____
- उत्तर - _____
- दक्षिण - _____
- क्या शेड है : हाँ नहीं
- यदि हाँ तो चौहद्दी - पूरब - _____
- चबूतरा है : हाँ नहीं
16. सार्वजनिक गाड़ी पड़ाव स्थल है : हाँ नहीं
- अगर हाँ तो _____
- क्या जलापूर्ति व्यवस्था है : हाँ नहीं
- अगर नहीं तो सरकारी स्थल उपलब्ध है : हाँ नहीं
- यदि हाँ, तो जगह का नाम _____
- पश्चिम - _____
- उत्तर - _____
- दक्षिण - _____
- एवं चौहद्दी - पूरब - _____
17. क्या वार्ड में उद्यान है : हाँ नहीं
- यदि नहीं, तो सरकारी स्थल उपलब्ध है : हाँ नहीं
- यदि हाँ, तो जगह का नाम _____
- पश्चिम - _____
- उत्तर - _____
- दक्षिण - _____
- चौहद्दी - पूरब - _____
18. वार्ड में हाट की स्थिति : हाँ नहीं
- यदि हाँ तो : शेड है : हाँ नहीं
- शौचालय है : हाँ नहीं
- जलापूर्ति की सुविधा है : हाँ नहीं
- यदि वार्ड में हाट नहीं है तो नजदीकी हाट की दूरी (किलो मीटर में) - _____

प्रपत्र - 01

मनरेगा अन्तर्गत IPPE-II के तहत वार्ड सभा की कार्यवाही के लिए पंजी का प्रपत्र :-

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 का श्रम बजट एवं कार्य योजना बनाने हेतु वार्ड सभा की बैठक की कार्यवाही :-

1. वार्ड संख्या
2. बैठक की तिथि
3. बैठक का स्थान
4. अध्यक्ष का नाम
5. उपस्थित मनरेगा कर्मी का नाम
6. उपस्थित सरकारी सेवक का नाम
7. वार्ड में उपस्थिति (व्यक्तियों के हस्ताक्षर / अँगूठे के निशान स्थान रखें) :-

क्र.सं.	वार्ड सभा में उपस्थित सदस्यों का नाम	जाँब कार्ड संख्या (यदि हो तो)	हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान
1	2	3	4

8. वार्ड सभा द्वारा पारित प्रस्ताव :-

(1) बेस लाईन सर्वेक्षण के आधार पर काम की मांग के अनुसार महीने-वार श्रम बजट के संबंध में प्रस्ताव :-

महीना	कुल मानव दिवस की आवश्यकता
अप्रैल	
मई	
जून	
जुलाई	
अगस्त	
सितंबर	
अक्टूबर	
नवम्बर	
दिसम्बर	
जनवरी	
फरवरी	
मार्च	
कुल	

प्रपत्र - 01 - B

(3) मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2016-17 में ली जाने वाली नई योजनाएं संबंधी प्रस्ताव :-

(i) सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के संबंध में वार्ड सभा का प्रस्ताव :-

क्र.सं.	प्रक्षेत्र	प्रस्तावित योजना का नाम	अनुमानित व्यय		कुल व्यय
			श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6
1	जल संरक्षण				
2	"				
3	"				
4	जल निकासी / चौर निकास / बाढ़ नियंत्रण कार्य				
5	"				
6	"				
7	सार्वजनिक तालाब की खुदाई				
8	"				
9	जमींदारी बाँध				
10	"				
11	आहर / पईन				
12	"				
13	वृक्षारोपण				
14	"				
15	"				
16	"				
17	भूमि विकास				
18	"				
19	सम्पर्क पथ / पी.सी.सी. पथ				
20	"				
21	"				
22	ऑगनबाड़ी केन्द्र				
23	खेल का मैदान				
24	सार्वजनिक तालाब / कूप निर्माण				
25	सार्वजनिक शौचालय / स्वच्छता संबंधी कार्य				
26	मनरेगा भवन				
27	अन्यान्य				
28	"				
29	"				

(ii) मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि से संबंधित कार्य के संबंध में वार्ड सभा का प्रस्ताव :-

(पंचायत रोजगार सेवक)

(वार्ड सदस्य)

मनरेगा अंतर्गत IPPE-II के तहत ग्राम सभा की कार्यवाही के लिए पंजी का प्रपत्र :-

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 का श्रम बजट एवं कार्य योजना बनाने हेतु ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही :-

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. बैठक की तिथि
3. बैठक का स्थान
4. अध्यक्ष का नाम
5. उपस्थित मनरेगा कर्मों का नाम
6. उपस्थित सरकारी सेवक का नाम
7. ग्राम पंचायत में उपस्थिति (व्यक्तियों के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान स्थान रखें) :-

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों का नाम	जाँब कार्ड संख्या (यदि हो तो)	हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
1	2	3	4

8. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव :-

(1) बेस लाईन सर्वेक्षण के आधार पर काम की मांग के अनुसार महीने-वार श्रम बजट के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव :-

महीना	कुल मानव दिवस की आवश्यकता
अप्रैल	
मई	
जून	
जुलाई	
अगस्त	
सितंबर	
अक्टूबर	
नवम्बर	
दिसम्बर	
जनवरी	
फरवरी	
मार्च	
कुल	

प्रपत्र - 02 - B

(3) मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2016-17 में ली जाने वाली नई योजनाएं संबंधी प्रस्ताव :-

(i) सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के संबंध में के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव:-

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रक्षेत्र	अनुमानित व्यय		कुल व्यय
			श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

प्रपत्र - 02 - C

(ii) मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि से संबंधित कार्य के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव :-

(पंचायत रोजगार सेवक)

(मुखिया)

मनरेगा अंतर्गत IPPE-II के तहत निजी / वास भूमि पर कार्य के लिए आवेदन प्रपत्र

भाग- 1

1. नाम -
2. पिता / पति का नाम -
3. वार्ड सं० -
4. ग्राम -
5. ग्राम पंचायत का नाम -
6. प्रखंड का नाम -
7. आवेदक की श्रेणी -
8. आवेदक की जाति -
9. जॉब कार्ड सं० -
10. निजी वास भूमि की विवरणी जिसपर निम्नलिखित कार्य करना प्रस्तावित है :-
खाता सं०..... खेसरा सं०..... मौजा..... रकबा.....
चौहद्दी :- पू० प०..... उ०..... द०.....

11. प्रस्तावित कार्य का विवरण :-
12. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय :-
13. प्रस्तावित कार्य संबंधी अनुभव

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है एवं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आवेदन पत्र समर्पित कर रहा हूँ। मैंने मनरेगा के अंतर्गत निजी / वास भूमि पर किए जाने वाले कार्यों से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करने के उपरान्त आवेदन पत्र भरा है। मैं मनरेगा के मार्गदर्शिका के अनुरूप अपने निजी / वास भूमि पर कार्य कराने के लिए इच्छुक हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान

भाग- 02

मनरेगा अंतर्गत IPPE-II के तहत निजी / वास भूमि पर कार्य के लिए आवेदन प्रपत्र
पंचायत रोजगार सेवक का सत्यापन

आवेदन में वर्णित उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन किया और सही पाया।

पंचायत रोजगार सेवक का पूरा नाम :-

पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर

.....
प्राप्ति रसीद
श्री / श्रीमती पिता / पति का नाम वार्ड सं० ग्राम
.....को प्राप्त हुआ। इसके प्रमाण स्वरूप यह रसीद दी जा रही है।

कार्यक्रम पदाधिकारी / पं० रो० से० का हस्ताक्षर

प्रपत्र - 04

मनरेगा अन्तर्गत निजी भूमि पर अनुमत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त आवेदनों के प्रखंड / पंचायत स्तर पर समेकन का प्रपत्र ।

प्रक्षेत्र / श्रेणी का नाम -

उप प्रक्षेत्र / श्रेणी का नाम

क्र०सं०	आवेदक का नाम	जॉब कार्ड सं०	आवेदक की श्रेणी	आवेदक की जाति	निजी/वास भूमि का खाता/खेसरा/मौजा/चौहद्दी
1	2	3	4	5	6

मनरेगा के अन्तर्गत निजी / वास भूमि पर प्रस्तावित कार्य	आवेदक का वर्तमान व्यवसाय	प्रस्तावित कार्य संबंधी अनुभव	अभ्युक्ति
7	8	9	10

वार्ड स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPPD) का फॉर्म G का संकलन प्रपत्र

पंचायत का नाम -

वार्ड संख्या -

क्र0सं0	ग्राम विकास योजना अंतर्गत 14वीं वित्तीय आयोग से प्राप्त होने वाली राशि को व्यय करने वाले प्रक्षेत्र	वार्ड में उपलब्धता (✓ करें)		अगर हाँ (✓ करें)		कौलम 4 में नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित योजना
		हाँ	नहीं	मरम्मती आवश्यक है	मरम्मती आवश्यक नहीं है	
1	पंचायत सरकार भवन	3	4	5	6	7
2	पंचायत भवन					
3	पेय जल हेतु सार्वजनिक नाल (स्टैंड पोस्ट)					
4	जल निकासी हेतु मुख्य नाला					
5	कचरा प्रबंधन की व्यवस्था					
6	वार्ड में सड़क है a) वार्ड (टोला,बसावट) का संपर्क पथ ग्राम पंचायत के निकट के मुख्य सड़क से जुड़ाव					
7	वार्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी है					
8	आंगनवाड़ी केंद्र					
9	जीविका ग्राम संगठन का बैठक स्थल					
10	महादलित टोला/बसावट में सामुदायिक भवन					
11	आश्रय स्थल (आपदा प्रभावित क्षेत्र)					
12	खेल का मैदान					
13	जन वितरण प्रणाली की दुकान					
14	बिजली की सुविधा (पोल से)					

15	कब्रिस्तान a) घेरा बंदी है						
16	शमशान a) चबूतरा b) शेड						
17	सार्वजनिक गाड़ी पड़ाव a) जलापूर्ति एवं b) शौचालय की सुविधा c) शेड की सुविधा						
18	वार्ड में उद्यान						
19	वार्ड में हाट की स्थिति a) शेड की उपलब्धता b) शौचालय की उपलब्धता c) जलापूर्ति						

पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (फॉर्म G) (बुनियादी सुविधा) का वार्ड वार संकलन प्रपत्र

जिला का नाम प्रखंड का नाम पंचायत का नाम

क्र0 सं0	बुनियादी सुविधा / प्रखंडों का नाम जिसमें 14वें वित्त आयोग की राशि से योजना ली जानी है :-	वार्ड संख्या जहाँ योजना का चयन किया गया है (V करें)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	पंचायत सरकार भवन																	
2	पंचायत भवन																	
3	पंच जल हेतु सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट)																	
4	जल निकासी हेतु मुख्य नाला																	
5	कचरा प्रबंधन की व्यवस्था																	
6	वार्ड में सड़क की स्थिति a) वार्ड सड़क के भीतर सड़क निर्माण की आवश्यकता b) वार्ड के भीतर सड़क मरम्मत की आवश्यकता c) वार्ड (टोला, बसावट) का संपर्क पथ ग्राम पंचायत के निकट के मुख्य सड़क से जुड़ाव d) संपर्क पथ में मरम्मत कराने की आवश्यकता																	
7	संचार सेवा प्रदाता																	
8	आंगनवाड़ी केंद्र																	
9	जीविका ग्राम संगठन का बैठक स्थल																	
10	महादलित टोला/बसावट में सामुदायिक भवन																	
11	आश्रय स्थल (आपदा प्रभावित क्षेत्र)																	
12	खेल का मैदान																	
13	जन वितरण प्रणाली की दुकान																	
14	बिजली की सुविधा (पोल से)																	
15	कब्रिस्तान																	
16	शमशान																	
17	सार्वजनिक गाड़ी पड़ाव																	
18	वार्ड में उद्यान																	
19	वार्ड में हाट की स्थिति																	

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 14वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली पंचवर्षीय ग्राम विकास योजना की सूची

जिला का नाम प्रखंड का नाम पंचायत का नाम

क्र०सं०	योजना का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	वार्ड संख्या	कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित वर्ष
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 14वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली वर्ष 2015-16 की वार्षिक ग्राम विकास योजना की सूची
 जिला का नाम ----- प्रखंड का नाम ----- पंचायत का नाम -----

क्र०सं०	योजना का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	वार्ड संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 14वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से ली जाने वाली वर्ष 2016-17 की वार्षिक ग्राम विकास योजना की सूची
 जिला का नाम ----- प्रखंड का नाम ----- पंचायत का नाम -----

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	वार्ड संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Annexure 1
Forms to be printed for BPT Kit

S. No.	Content	Responsibility	
1	SECC Base form (Download From www.nrega.nic.in)	PO and BPM	
2	Form A- 1 Page B- 4 Page C- 2 Page D- 1 Page E- 1 Page F- 1 Page(Individual survey format) G-3 Page(For GPDP)	DDC	
3	List of Active Jobcard holders in the <i>Gram Panchayat</i>	PO and BPM	
4	List of all the works already done under MGNREGA in the past and the list of present shelf of works in the GP	PO and BPM	
5	List of IAY beneficiaries along with the waiting list	BDO	
6	List of families already surveyed for Skill program	PO and BPM	
7	List of beneficiaries receiving Pension	BDO	
8	Blank format for registration of new job cards	PO and BPM	
9	Consolidation format of GPDP	DDC	
10	Consolidation format of MGNREGA	DDC	

Stationary Item for BPT Kit

Sl. No.	ITEMS
1	Pen
2	Pencil
3	Eraser & cutter
4	Note pad
5	Stapler with pins
6	Stamp pad
7	Chart paper
8	Sketch pen
9	Marker pen
10	Glue stick
11	Folder
12	Flex (5*2)